प्रेस नोट
दिनांक 09.12.2024, थाना उमरीबेगमगंज
जनपद गोण्डा।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के 03 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के जेवरात, मोबाइल, नगदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 318/2024 धारा 305, 331(4), 352, 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त- 01. ननके पुत्र अनन्तराम, 02. अनन्तराम पुत्र भगौती, 03. श्रीमती प्यारा देवी पत्नी अनन्तराम निवासीगण ग्राम पूरे जेठासी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को वर्ड बैंक से बाबा मठ जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 01 जोड़ी टप्स (पीली धातु), 01 अदद नाक की कील (पीली धातु), 01 अदद झुमकी (पीली धातु), 01- 01 अदद कंगन, हुसुली, अगूठी, जंजीर (सफेद धातु), 01-01 जोड़ी कड़ा, टप्स छुमकी, पायल, चिमटी, हवेस, प्रेसलेट, खड़ुआ (सफेद धातु), 03 अदद करधन व 03 अदद बटन चेन में लगी हुई, 02 बिछुआ, रूपये 2450/- नगद, 01 अदद मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल UP43AH9563 बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

एक महिला द्वारा थाना उमरीबेगमगंज पुलिस को सूचना दिया गया की दिनाकं 02/03-12.2024 की रात्रि में विपक्षियों द्वारा उनके घर में घुसकर घर में ऱखा कीमती रूपये, जेवरात व अन्य समाग्री चोरी कर लिया गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में मु0अ0सं0- 318/2024 धारा 305, 331(4), 352, 317(2) बीएनएस श्रीमती प्यारा देवी आदि 02 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी बरामदगी हेतु टीमें लगाई गई था। आज दिनांक 09.12.2024 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान तकनीकी व मैनुआल साक्ष्यों के आधार नामजद आरोपी अभियुक्तों- अभियुक्त- 01. ननके पुत्र अनन्तराम, 02. अनन्तराम पुत्र भगौती, 03. श्रीमती प्यारा देवी पत्नी अनन्तराम निवासीगण ग्राम पूरे जेठासी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को वर्ड बैंक से बाबा मठ जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 01 जोड़ी टप्स (पीली धातु), 01 अदद नाक की कील (पीली धातु), 01 अदद झुमकी (पीली धातु), 01- 01 अदद कंगन, हुसुली, अगूठी, जंजीर (सफेद धातु), 01-01 जोड़ी कड़ा, टप्स छुमकी, पायल, चिमटी, हवेस, प्रेसलेट, खड़ुआ (सफेद धातु), 03 अदद करधन व 03 अदद बटन चेन में लगी हुई, 02 बिछुआ, रूपये 2450/- नगद, 01 अदद मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल UP43AH9563 बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. ननके पुत्र अनन्तराम निवासी ग्राम पूरे जेठासी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

02. अनन्तराम पुत्र भगौती निवासी ग्राम पूरे जेठासी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

03. श्रीमती प्यारा देवी पत्नी अनन्तराम निवासिनी ग्राम पूरे जेठासी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 318/2024 धारा 305, 331(4), 352, 317(2) बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज, जनपद-गोंडा।

बरामदगी-

01. 01 जोड़ी टप्स (पीली धातु)

02. 01 अदद नाक की कील (पीली धातु)

03. 01 अदद झुमकी (पीली धातु)

04. 01- 01 अदद कंगन, हुसुली, अगूठी, जंजीर (सफेद धातु)

05. 01-01 जोड़ी कड़ा, टप्स छुमकी, पायल, चिमटी, हवेस, प्रेसलेट, खडुआ (सफेद धातु)

06. 03 अदद करधन व 03 अदद बटन चेन में लगी हुई

07. 02 बिछुआ

08. 01 अदद मोबाइल फोन

09. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल UP43AH9563

10. रूपये 2450/- नगद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रविप्रकाश यादव

02. उ0नि0 बृजेश यादव

03. हे0का0 कलेन्द्र यादव,

04. का0 पियुष यादव

05. का0 सूरज कुमार

06. म0का0 प्रियंका यादव

07. म0का0 सरस्वती सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.12.2024

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

कार्यवाहीः-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-470/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित फरार चल रहे आरोपी अभियुक्त चंद्रिका उर्फ चीनी पुत्र बालकिशोर ग्राम रमनगरा थाना कोतवाली बलरामपुर जनपद बलरामपुर को सोनबरसा पोखरा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 04.11.2024 को वादी लल्लू प्रसाद पुत्र सुन्दर लाल ग्राम पड़री बल्लभ थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी की दिनांक 03/04.11.2024 की रात्रि गोण्डा-उतरौला मार्ग पर स्थित ग्राम विशवां गनेश से अज्ञात चोरों द्वारा उनके ई-रिक्शा की बैट्री चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें को0 देहात पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त ताराचन्द को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से से 01 अदद वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन व 02 अदद ई-रिक्शा की बैट्री व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद कर दिनांक 04.11.2024 को जेल भेजा जा चुका है तथा गिरफ्तारी से बचने हेतु प्रकाश में आया 01 अभियुक्त फरार चल रहा था। आज दिनांक 09.12.2024 को वांछित अभियुक्त चंद्रिका उर्फ चीनी पुत्र बालकिशोर ग्राम रमनगरा थाना कोतवाली बलरामपुर जनपद बलरामपुर को सोनबरसा पोखरा के पास से गिरफ्तार किया गया। किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. चंद्रिका उर्फ चीनी पुत्र बालकिशोर ग्राम रमनगरा थाना कोतवाली बलरामपुर जनपद बलरामपुर।

अनावरित अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 470/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 रामप्रकाश चन्द्र।
02. का0 नरेन्द्र यादव

मीडिया सेल,गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.12.2024

थाना को0देहात पुलिस द्वारा झपट्टा मार कर चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद-

कार्यवाहीः-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-470/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त मोहसिम पुत्र मुस्लिम निवासी ग्राम तिवारी गिर्द थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को मनकापुर रोड़ से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद कलाई घड़ी शीशा टूटा हुआ, 01 अदद दोपहिया वाहन का चाभी मय रबड़ की लाल छल्ला, चोरी की रूपये 1500/- नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी नवनीत तिवारी पुत्र सुरेशचन्द्र तिवारी ग्राम पूरे महोलिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी की वह अपना सरकारी भाँग की दुकान पर सेल्समैन का काम करता है तथा दिनांक 24.11.2024 को दुकान बन्द करके खोरहंसा बाजार से आगे की तरफ परसा गाँव के पास पीछे से मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्ति आए और चेहरे पर मिर्चा जैसी पाउडर फेक दिये जिससे वह गिर गया और उसके जेब से नगदी, मोबाइल, घड़ी व हेलमेट छपटा मारकर भाग गये। वादी की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी बरामदगी हेतु टीमें लगाई गई था। जिसके क्रम में को0 देहात पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त मोहसिम पुत्र मुस्लिम निवासी ग्राम तिवारी गिर्द थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को मनकापुर रोड़ से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद कलाई घड़ी शीशा टूटा हुआ, 01 अदद दोपहिया वाहन का चाभी मय रबड़ की लाल छल्ला, चोरी की रूपये 1500/- नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. मोहसिम पुत्र मुस्लिम निवासी ग्राम तिवारी गिर्द थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

अनावरित अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 496/2024, धारा 304, 317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी-</u>

01. 01 अदद कलाई घड़ी शीशा टूटा हुआ
02. 01 अदद दोपहिया वाहन चाभी मय रबड़ की लाल छल्ला
03. चोरी की रूपये 1500/- नगद

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।
02. व0उ0नि0 गजेन्द्र पाण्डेय
03. उ0नि0 गौरव सिंह तोमर
04. उ0नि0 पवन कुमार गिरि
05. का0 भरत चौहान
06. का0 रवि प्रताप

<u>मीडिया सेल,गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 09.12.2024

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से डीसीएम पर लदा हुआ चोरी का 20 अदद पाइप बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 282/2024, धारा 303(2), 317(2) से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त धनराज पुत्र रामसहाय कुशवाहा (चालक) निवासी ग्राम भैरामपुर थाना सचेण्डी जिला कानपुर नगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 20 पाइप HDPE180mm वाहन सं0- UP78HT8425 पर लदी हुई बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री अर्जुन कुमार पुत्र स्व0 सच्चिदानंद निवासी ग्राम भटवालिया पोस्ट बड़गाँव थाना कोतवाली नगर गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि वह जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एक संस्थान में विकाश खण्ड रूपईडीह में इंजिनियर के पद पर कार्यरत है। कम्पनी को बिना सूचना के चालक धनराज द्वारा गाड़ी संख्या UP78HT8425 (डीसीएम) में अन्य लोगो की मदद से 20 पाइप HDPE180mm की लोड़ करके चोरी से ले जा रहे थे कि ठेकेदार की मदद से ग्राम महादेवा कला में पहुच कर पकड़ लिय गया है। वादी की तहरीर पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ तथा आरोपी अभियुक्त धनराज पुत्र रामसहाय कुशवाहा (चालक) निवासी ग्राम भैरामपुर थाना सचेण्डी जिला कानपुर नगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 20 पाइप HDPE180mm वाहन सं0- UP78HT8425 पर लदी हुई बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. धनराज पुत्र रामसहाय कुशवाहा (चालक) निवासी ग्राम भैरामपुर थाना सचेण्डी जिला कानपुर नगर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 282/2024, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. वाहन सं0- UP78HT8425 पर लदी हुई 20 पाइप HDPE180mm

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव
02. उ0नि0 धीतेन्द्र सिंह
03. का0 शैलेष पासवान

मीडिया सेल,गोण्डा।

प्रेस नोट

साइबर जागरूकता अभियान

दिनांक 09.12.2024

ऑपरेशन "साइबर कवच" के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज द्वारा तहसील कर्नलगंज के अधिवक्ताओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक-

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये-नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन "साइबर कवच" अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

आज दिनांक 09.12.2024 को क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह द्वारा उप-जिलाधिकारी की उपस्थिती में तहसील कर्नलगंज सभागार कक्ष में अधिवक्ताओं व अन्य उपस्थित स्टाफ को साइबर अपराधों से बचाव हेतु जागरूक करते हुए बताया गया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। आनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। किसी भी प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली-भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, बीमा कम्पनी, नौकरी के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें व अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दे। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। NCRP portal- https://cybercrime-gov-in व साइबर हेल्प न0 1930 की जानकारी दी तथा यह जानकारी अपने घर पर परिवारजनो व आसपास के लोगो को भी साझा करने हेतु बताया गया। इसी तरह जनपदी साइबर सेल व अन्य थानों के साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने हेतु जागरूक किया गया।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें

02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।

03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।

05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।